प्रपत्र–2 फोन नं. 8435581609

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 5888 /मान्यता/ 2023–24 बिलासपुर, दिनांक-26/07/2023

प्रति,

प्रबंधक वर्ग
कालिन्दी एजुकेशन सोसायटी
पितेश्वर पी–34 क्रांति नगर बिलासपुर (छ.ग)
पंजीयन क्रमांक– 9584461666दिनांक– 15.05.2002

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

संदर्भ– सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक/6368/अशा.मान्यता/2022 रायपुर दिनांक– 03.10.2022

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मै **द जैन इंटरनेशनल स्कूल वि.ख–.तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग). (विद्यालय का नाम पता सहित)** को कक्षा नर्सरी से 08 वीं तक (अंग्रेजी माध्यम) दिनांक–25.07.2023 से 25.07.2026 तक तीन वर्षो के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1– मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवी के पश्चात् मान्यता/संबंध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा ।

3– विद्यालय,कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

4– परौ 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की **धारा 12(2)** के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जयेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5– सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय,किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा वह अधिनियम की **धारा 15** के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि :–

(क) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

(ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं कीजाएगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ड़) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशुक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–2 फोन नं. 8435581609

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 5887 /मान्यता/ 2023–24 बिलासपुर, दिनांक –26/07/2023

प्रति,

प्रबंधक वर्ग
कालिन्दी एजुकेशन सोसायटी
पितेश्वर पी–34 क्रांति नगर बिलासपुर (छ.ग)
पंजीयन क्रमांक– 9584461666दिनांक– 15.05.2002

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

संदर्भ– सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक/6368/अशा.मान्यता/2022 रायपुर दिनांक– 03.10.2022

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12.02..2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मै द **जैन इंटरनेशनल स्कूल वि.ख–.तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग). (विद्यालय का नाम पता सहित)** को कक्षा 09 वी से 12 वीं तक (अंग्रेजी माध्यम) विषय– कला,विज्ञान,गणित,वाणिज्य के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1– मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवी के पश्चात् मान्यता/संबंध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा ।

3– विद्यालय,कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

4– परौ 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की **धारा 12(2)** के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जयेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5– सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय,किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा वह अधिनियम की **धारा 15** के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि :–

(क) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

(ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं कीजाएगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ड़) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशुक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner